

15.01.18

राजेश कुमार बनाम विजयसिंह वगैरह

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री लेखू मंघानी के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लेने हेतु पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांटस अपील को आगे नही चलाना चाहते हैं और इसलिए अपील वापिस लेना चाहते हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलांटस अपील को आगे नही चलाना चाहते है इसलिए अपील अपीलांट विद्दो में खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट विद्दो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजेश कुमार
अधीक्षक

Noted
d/m/h
@50 3/4